3

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

C. N-	Complaint or report madeon 3 120/17
Case No	Control (Control (Con
Name and address of th	e Complainant
	Complaint or report made on
	and address of acrosed
Cider Big	10 21 3 FC TERS 11/2 0/8 10210
-N. 700	in 2-4. asilda Agus.
Aar CA.	Contraction of the party of the
The	offence, complainant of, and date of, its alleged commission
कि भावद्वाविव की धारा	दिनांक २०/०२/१३ को समय लगभग ०२/० बजे, स्थान अंतर्गत थाना २०००/५५ में वाहन ५५० क० को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय
के संज्ञान में आता है।	क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। [A.K.Gupun] Judicial Magnetate First Cla
	The plea of the accused and his examination (if any)
जुर्म स्वीकार है। माफ	केया जावे।
	Judicial Magistrate First Class Gohad disti. Brand (M.R.)
	de alegra(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(आज दिनांक 20-7/7 को धोषित)

आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा०द०वि० की धारा 01. 27941६१७ के तहत दण्डंनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है। 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जिस् को भा.द.वि. की धारा के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि० की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रूपये 1000) (अठ इता २०००) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे। जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन डे hac पाउना का MP07 11. B5660 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुरुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distr Bhind (M.P.)